

# फर्द अहकाम

(नियम 13)

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No:91)

GCMs

2021/9

29/9/2022

अज अदालत तहसीलदार, सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

चाडो की दानी

वनाम

शुकराम पुत्र गोकलाराम

जाति - जाट साकिव -

खारा मेहन्यान

मु.न. 09 / 2021

किस्म मुकदमा - राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91  
सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
03-09-2021	<p>पटवारी हल्का चाडो की दानी ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2078 में मौजा खारा मेहन्यान के खसरा संख्या 548 रकबा 0.1215 बीघा किस्म भूमि गैर सायल पर नाजायज अतिक्रमण कर कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 15-09-2021 को वमुकाम सिणधरी पेश हो।</p>	
15-9-2021	<p>पत्रावली पेश हुई। गैर सायल मुकदमा, गैर सायल को तलब हेतु भवतल दिया जाकर पत्रावली दिनांक 23-9-2021 को पेश हो।</p>	

तहसीलदार सिणधरी  
जिला-वाड़मेर

तहसीलदार सिणधरी  
जिला-वाड़मेर

23-9-2021

पत्रावली पेश हुई। और सापल अनुपाष्टिी  
 और सापल के जवाब हेतु भवसर डिप्टे जागे  
 के उपरान्त ~~की~~ कोई विधि सम्मत जवाब  
 प्रस्तुत नहीं किया, और सापल के प्रतिक्रिया  
 मजते हुए, पत्रावली फेसल सुमार है।  
 मिर्ष अलग लिख्ये पाकर शामिल  
 पत्रावली है। मिर्ष शुले-अप्राप्य के  
 सुनाया शाक, पत्रावली फेसल सुमार  
 होकर नंबर से कम होकर दाखिल  
 दाफतर है।

तहसीलदार सिणधरी  
 जिला-बाडमेर

साल 2021-22 के राजस्व लेखा परिपत्र म. 4 क  
 अनुसूची म. 23 पर क्रम 01 पर सुपाना/फसल  
 आतामी राजस्व 50/- की राशि दर्ज की गई।

M. Ory  
 तहसील राजस्व लेखाकार  
 तहसील सिणधरी

न्यायालय तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर राजस्थान

मुकदमा नम्बर-०१/२०१४

संवत्-२०१४

राजस्थान सरकार जरिये

बनाम

पटवारी हल्का ~~...~~ ~~...~~ ~~...~~

~~इशाराम वन्दु जी कलशम~~

~~जाति जाट खार महेयाग~~

निर्णय

दिनांक:- 23-9-2021


संक्षिप्त प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी ~~...~~ ~~...~~ ने रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया। कि गैर सायल ने संवत् २०१४ में राजस्व ग्राम ~~...~~ ~~...~~ के खसरा नम्बर ५५४ में कुल रकबा ०.५४५५ बीघा किस्म भूमि ~~...~~ ~~...~~ में से रकबा ०.१२५ बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया है। जिस पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा ९१ के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर गैर सायल को नोटिस तलब किया गया। पेशी तिथि पर गैर सायल अनुपस्थित।

गैर सायल बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित अतः गैर सायल के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है।

चूकि उक्त आराजी राजस्व अभिलेख अनुसार राजकीय भूमि दर्ज है जिस पर गैर सायल द्वारा अनाधिकृत कब्जा करना साबित होता है।

ऐसी अवस्था में गैर सायल को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा ९१ के अन्तर्गत अतिक्रमी घोषित किया जाकर उसको उक्त आराजी मूतनाजा से वेदखली के आदेश दिये है। गैर सायल के इस कृत्य के लिए उनके विरुद्ध वार्षिक भू-राजस्व लगान ०.०५ रूपये का राउण्ड अप ~~...~~ का ५० गुणा अर्थात् ५० रूपये (अक्षर पन्द्रार रूपये) का जुर्माना आरोपित कर दण्डित किया जाता है। गैर सायल से वसूल किया जावे।

हल्का पटवारी गैर सायल को उक्त आराजी से भौतिक रूप से वेदखलकर निर्णय की पालना में भूमि का कब्जा वहक सरकार प्राप्त करे। तथा कब्जा प्राप्ति की रिपोर्ट पेश करें। निर्णय की क्रियान्वित मांग कायमी हेतु तराले/भू.अ. निरीक्षक/पटवारी हल्का आदेश की पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फौसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

  
तहसीलदार सिणधरी  
तहसीलदार सिणधरी  
जिला-बाड़मेर